राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 169/2023

शशि चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा झोटवाडा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2023
आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूंडा की ढाणी, जोबनेर, जयपुर किया गया है जबकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया। आज भी वह पद रिक्त है। उनका कथन है कि अपीलार्थी बी.एल.ओ. का कार्य भी कर रहा है। अपीलार्थी को बी.एल.ओ. सुपरवाईजर के पद का कार्य चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है जबकि पीपुल एक्ट 1950 की धारा 13 सी. एवं 13 सी.सी. के तहत यदि कोई कार्मिक चुनाव आयोग के अधीन कार्य कर रहा है तो उसका स्थानान्तरण बिना अनुमति के सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता जबकि बिना अनुमति के ही अपीलार्थी का

स्थानान्तरण कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने मोहन लाल यादव बनाम राज्य एस.बी.सी. रिट याचिका संख्या 15870/2022 में भी इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेशों को गलत माना है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक अपीलार्थी को चुनाव आयोग द्वारा बी.एल.ओ. सुपरवाईजर के पद का कार्य करने हेतु नियुक्त किए जाने के उपरांत स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/आदेश दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रकट हो सके कि अपीलार्थी को चुनाव

आयोग द्वारा बी.एल.ओ. सुपरवाईजर के पद का कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया हो तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य